UPMO010074702026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या- 1 मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी- (प्रीति सिंह-द्वितीय), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP01613

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2304/2026

सन्तोष पुत्र श्री रामचन्द्र, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम गदई खेड़ा, थाना-मूंढापाण्डे, जिला मुरादाबाद।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ 0 प्र 0 राज्य द्वारा डी.जी.सी. क्रिमिनल।

.....अभियोजन पक्ष।

मु0 अ 0 सं0-205/2026,
धारा- 85,69,89,115(2),352,351(2) बी.एन.एस.
थाना- मूंढापाण्डे, जिला-मुरादाबाद।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र</u>

दिनांक-11.08.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त सन्तोष की ओर से मुकदमा अपराध सं0-205/2026, अन्तर्गत धारा- 85, 69, 89, 115(2), 352, 351(2) बी0 एन 0 एस 0, थाना–मूंढापाण्डे, जिला मुरादाबाद में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र सतीश प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक वादिनी मुकदमा/पीड़िता की तहरीर के आधार पर इस प्रकार है कि "प्रार्थिनी ग्राम गदईखेड़ा, थाना मूढ़ापाण्डे, जिला मुरादाबाद की रहने वाली है। प्रार्थिनी के पति सत्यमान पुत्र रामचन्द्र का करीब 03 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में देहान्त हो चुका है प्रार्थिनी के पति के देहान्त के करीब एक माह बाद देवर सन्तोष पुत्र रामचन्द्र मेरे कमरे में घुस आया था तथा मेरे साथ जबरन अश्लीलता व छेड़छाड़ की थी, जिसका विरोध करने पर सन्तोष ने यह कहते हुये कि बहनों की शादी कर देने के बाद हम दोनों अपनी शादी कर समाज में पूरी तरह से पति-पत्नी की तरह रहेंगे तथा मेरी बच्ची दीक्षा का भी पालन पोषण करने इत्यादि का झांसा देकर मेरे साथ नाजायज सम्बन्ध बनाये थे तथा तभी से मेरे साथ मना करने के बाद भी जबरन नाजायज सम्बन्ध बनाता रहा है, अब से करीब डेढ़ वर्ष पूर्व प्रार्थिनी गर्भवती हुई थी तो उपरोक्त सन्तोष ने बहाने से दवाई खिलाकर मेरा गर्भपात करा दिया था। कल दिनांक 11.06.2026 को सुबह करीब 3:00 बजे सन्तोष मेरे कमरे में आकर मेरे साथ गलत सम्बन्ध बनाने का प्रयास करने लगा, मेरे मना करने पर सन्तोष ने जबरन मेरे कपडे खींच लिये, मेरे विरोध करने व मेरे द्वारा समाज में पति पत्नी के तरीके से रहने की बात कहने पर सन्तोष ने गन्दी गन्दी गालियों देते हुये मेरी हत्या करने की नियत से मेरा गला बुरी तरह दबा दिया मेरी चीख पुकार पर व शोर शराबे पर रामचन्द पुत्र टिन्डू (ससुर), रामकली, पार्वती पुत्रीगण रामचन्द्र (ननद) ने भी उल्टा प्रार्थिनी को ही दोषी ठहराते हये गन्दी गन्दी गालियों व धमकियां देते हुये लात घूसों से मारा-पीटा मौके पर बहुत से लोग इक्ट्ठा हो गये जिनमे से कुछ लोगों ने मुझे बामुश्किल उपरोक्तों के चुगल से छुड़ाया अन्यथा निश्चित ही किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे देते। प्रार्थिनी ने घटना की तहरीर थाने में थी किन्तु कोई कार्यवाही अमल में न लाये जाने पर प्रार्थिनी विवश होकर श्रीमानजी की शरण में न्याय की गुहार लगा रही है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थिनी के साथ घटित

Digitally signed by PRITI SINGH
Date: 2026.08.11 16:51:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

घटना की बाबत दोषियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश पारित करने की कृपा करें।"

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उक्त मुकदमें में प्रार्थी को रंजिश की विनाह पर झूठा फंसाया है वह बिल्कुल निर्दोष है प्रार्थी के खिलाफ कोई विश्वसनीय साक्ष्य नही है। प्रार्थी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय से दि0-14.07.2026 को निरस्त हो चुका है। नकल आदेश संलग्न है। प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है। प्रार्थी दि0-11.07.2026 से जिला कारागार मुरादाबाद में निरूद्ध है। मुकदमा वादनी प्रार्थी की सगी भाभी है प्रार्थी के सगे बडे भाई सत्यभान सिंह व प्रार्थी की मां की मृत्यु अरसा करीब 3 वर्ष पूर्व दुर्घटना में हो चुकी है प्रार्थी व मृतक सत्यभान दो भाई जिनमें केवल प्रार्थी जीवित है तथा अविवाहित है वादनी की एक पुत्री है वादनी मृतक सत्यभान सिंह की मृत्यु के बाद से ही अपने मायके में ही रहती है। वादनी चाहती है कि प्रार्थी व उसके पिता के नाम की आराजी काश्त में आधी जमीन वादनी के नाम कर दी जाये इस बात को लेकर गाँव में पंचायत भी हुई प्रार्थी के पिता व प्रार्थी ने वादनी से कहा कि प्रार्थी व उसके पिता के नाम जमीन खरीदी हुई है कोई पैतृक आराजी नही है जो आधी बाट कर दे दी जाये तथा प्रार्थी की दो सगी बहने अविवाहित है उनकी भी शादी करनी है प्रार्थी के पिता काफी बुजुर्ग है तथा बीमार रहते है इलाज चल रहा है। प्रार्थी व उसके पिता ने वादनी को स्वेच्छा से 6 बीघा जमीन तथा मकान में रहने के लिए यानी घर देने का प्रस्ताव रखा लेकिन वादनी ने धमकी दी की मुझे आधी जमीन नहीं दी तो में बलात्कार के झूठे मुकदमें में प्रार्थी को जेल भिजवा देगी सम्बन्धित थाने की पुलिस वाखूबी जानती है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और इसी कारण वादनी का मुकदमा जब नहीं लिखा गया तो पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद / डी०आई०जी मुरादाबाद के आदेश प्रार्थी व उसकी सगी बहनों व पिता के खिलाफ उक्त मुकदमा लिखा गया है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है वादनी व उसके साथ सहयोग देने वाले व्यक्तियो के विरूद्ध प्रार्थी के पिता द्वारा दि०-23.06.2026 को एफ०आई०आर० से पहले ऑनलाईन एस०एस०पी० मुरादाबाद को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था जिसमें वादनी द्वारा नाजायज दबाब बनाने तथा शादी करने व आधी जमीन की मांग करने के सम्बन्ध में दिया गया था। कथित घटना का कोई समय व तारीख एफ०आई०आर० में अंकित नहीं है जो तारीख अंकित की गई है दि0-11.06.2026 को सुबह करीब 03:00 बजे प्रार्थी का कमरे मे आकर गलत सम्बन्ध बनाने का प्रयास करने लगा आदि मिथ्या आरोप लगाकर झूठा फंसाया है। कथित घटना का समर्थन करता हो डिले एफ०आई०आर० है वादनी द्वारा अपनी एफ०आई०आर० में कहती है कि उसके पति के देहान्त के एक माह बाद ही छेडछाड व अश्लीलता का आरोप बताती है उस समय कोई पुलिस को सूचना या मायके वालो को सूचना क्यो नही की पति की मृत्यु को 3 वर्ष बीत चुके है 3 साल के अन्दर कोई शिकायत या गाँव में इस प्रकार की कोई बात किसी व्यक्ति को ना बताना तथा यह भी एफ०आई०आर० में स्वीकार करती है कि उसके साथ मना करने के बाद भी नाजायज सम्बन्धो की बात कहना तथा पुलिस में काई कार्यवाही न करना इससे साबित है कि जो प्रार्थी पर आरोप लगाये गये है वह सब मिथ्या व निराधार है। प्रार्थी ने ना तो अवैध सम्बन्ध बनाये और ना ही गलत सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया और ना ही गन्दी गन्दी गालियों दी और ना ही धमकी और ना ही वादनी के साथ मारपीट की आरोप मिथ्या व निराधार है कोई साक्षी नही है केवल जमीन, मकान हासिल करने तथा प्रार्थी से जबरन कराव करने का नाजायज दबाब डालकर फर्जी मुकदमें में फंसाया है। जमीन को नाम कराने के लिए फर्जी स्टोरी बनाकर जिसका कोई विश्वसनीय साक्ष्य नही है और ना ही कोई चिकित्सय साक्ष्य है बहुत ही सूज-बूझ के साथ तहरीर फर्जी घटना प्लान्ट की है वादनी बहुत ही चालाक वशातिर किस्म की महिला है जिसकी उम्र भी लगभग 35 वर्ष है जबकि प्रार्थी की उम्र लगभग 25 वर्ष है। प्रार्थी पर नाजायज दबाब डालकर प्रार्थी के साथ कराव करने तथा आधी जमीन नाम करने को लेकर यह फर्जी घटना बनायी गयी है जबकि इस प्रकार की कोई घटना नही हुई है जिसका वर्णन एफ०आई०आर० में किया गया है प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है प्रार्थी सीधा सादा पढा लिखा व्यक्ति है प्रार्थी दौराने

मुकदमा जमानत का दुरूपोग नही करेगा और ना ही प्रार्थी गवाहो को परेशान करेगा प्रत्येक नियत तिथि पर मा० न्यायालय में उपस्थित आता रहेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को दौराने मुकदमा उचित जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित करने की कृपा करें। अभियुक्त की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **सालिम उर्फ शालू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** प्रस्तुत की है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने दर्ज कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश पारित किया है।

4. उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी, आख्या न्यायालय को प्राप्त है।

5. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पीड़िता द्वारा अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया है कि *"पति का करीब 3 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में देहान्त हो गया। देहान्त के करीब 1 माह बाद देवर सन्तोष कमरे में घुस आया मेरे साथ जबरन अश्लीलता व छेड़छाड़ की। विरोध करने पर सन्तोष ने यह कहते हुए कि बहनों की शादी कर देने के बाद हम दोनों अपनी शादी कर समाज में पति पत्नी की तरह रहेंगे। मेरी बच्ची दीक्षा का भी पालन पोषण करने का झांसा देकर मेरे साथ नाजायज सम्बन्ध बनाता रहा है। गर्भवती हुई तो दवाई खिलाकर गर्भपात करा दिया था। दिनांक 11.06.2026 को सुबह करीब 3:00 बजे सन्तोष मेरे कमरे में आकर मेरे साथ गलत सम्बन्ध बनाने का प्रयास करने लगा, मना करने पर सन्तोष ने जबरन मेरे कपडे खींच लिये और विरोध करने पर समाज में पति पत्नी के तरीके से रहने की बात कहने पर सन्तोष ने गन्दी गन्दी गालियों देते हुये मेरी हत्या करने की नियत से मेरा गला बुरी तरह दबा दिया मेरी चीख पुकार पर रामचन्द, रामकली, पार्वती ने भी उल्टा प्रार्थिनी को ही दोषी ठहराते हये गन्दी गन्दी गालियों व धमकियां देते हुये लात घूसों से मारा-पीटा, बामुश्किल चंगुल से छुड़ाया।"*

धारा-180 बी.एन.एस.एस. के बयान में कथन किया कि *"सन्तोष कई बार मेरे साथ जबरदस्ती सम्बन्ध बनाता था और जब मैं कहती थी कि अब काफी समय हो गया है कोर्ट मैरिज या शादी करो मैं तभी रहूँगी तो ससुराल वालों ने मेरे साथ मारपीट व गाली गलौच शुरू कर दी और दिनांक 11.06.2026 को मारपीट कर घर से निकाल दिया।"*

धारा-183 बी.एन.एस.एस. के बयान में पीड़िता ने पुनः यही कथन किया कि *"पति की मृत्यु के 1 माह बाद देवर सन्तोष कमरे में घुस आया और मेरे साथ जबरदस्ती बिना मेरी मर्जी के बलात्कार किया। विरोध करने पर मुझे व मेरी बच्ची को रखने और मेरे से शादी करने का वादा किया। रानी की शादी फरवरी, 2026 में हो गयी। जुलाई, 2024 में मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पेट में सन्तोष का बच्चा था उसको बताने पर नंद के हाथ एक दवा भेज दी जो मैंने बुखार की दवाई समझकर खा ली थी। मेरा गर्भपात करा दिया शादी करने से मना कर रहा है। दिनांक 11.06.2026 को सुबह करीब 03.00 बजे सन्तोष मेरे कमरे में आ गये और सम्बन्ध बनाने का दबाव बनाने लगे मना किया तो मुझे मारा पीटा और मेरे गला दबा दिया। मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। शोर पर नन्द पार्वती, रामकली, ससुर रामचन्द्र आ गये। उन्होंने मुझे ही गलत कहा। सन्तोष मेरे साथ गलत तरीके से सेक्स भी करता था।"*

8. अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के साथ जन सुनवाई में दर्ज शिकायत दिनांक 23.06.2026 के प्रपत्र संलग्न किये। 23.06.2026 के प्रार्थना पत्र में अभियुक्त के पिता रामचन्द्र द्वारा यह शिकायत की गई थी कि *"प्रार्थी के पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी, उसकी पत्नी नाजायज रूप से यह दबाव बनाने लगी की सन्तोष के साथ पत्नी के रूप में करा दो। सन्तोष ने जब विवाह करने से मना कर दिया और*

आगे पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की तो धमकी देने लगी कि बलात्कार के झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दूंगी और यह कहकर एक झूठा प्रार्थना पत्र दिया है।" इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा विवेचक से आख्या आहूत की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि *"इसी क्रम में नामित अभियुक्त रामचन्द्र के प्रार्थना पत्र की जांच आख्या प्रेषित कर दी गई थी।"* इस स्तर पर विदित होता है कि इसी विवेचक द्वारा रामचन्द्र की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की गई थी और इसी विवेचक द्वारा इस मामले की विवेचना की जा रही है। उक्त प्रार्थना पत्र रामचन्द्र द्वारा दिनांक 23.06.2026 को दिया गया। इस मामले की एफ.आई.आर. दिनांक 02.07.2026 को घटना दिनांक 11.06.2026 की दर्शाते हुए दर्ज की गई है, इससे यह प्रथम दृष्टया विदित होता है कि रामचन्द्र के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.06.2026 के उपरान्त दिनांक 02.07.2026 को यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है।

11.06.2026 की घटना पीड़िता द्वारा तहरीर में गलत सम्बन्ध बनाने का प्रयास करने पर जबरन कपड़े खींच लेने की, की गई है। धारा-180 बी.एन.एस.एस. के बयान में 11.06.2026 को मारपीट कर घर से निकाल दिये जाने का कथन किया है, धारा-183 बी.एन.एस.एस. के बयान में 11.06.2026 को अवैध सम्बन्ध बनाने का दबाव बनाने व जबरदस्ती बलात्कार करने का कथन किया है, इस प्रकार तहरीर व धारा-180 बी.एन.एस.एस. के बयान में दिनांक 11.06.2026 को बलात्कार करने का कथन नहीं है, धारा-183 बी.एन.एस.एस. के बयान में बलात्कार करने का कथन किया है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 02.07.2026 पत्रावली पर है जिसके अनुसार कोई ताजा चोट नहीं है पुरानी चोटों के निशान है। अभियुक्त दिनांक 11.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। पीड़िता के पति का देहान्त सड़क दुर्घटना में हो चुका है। अभियुक्त द्वारा शादी के झांसे के आधार पर, पीड़िता से शारीरिक सम्बन्ध बनाया जाना बताया गया है, पीड़िता वयस्क है। माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रस्तुत विधि व्यवस्था एफ.आई.आर. में नामित न होने पर एफ.आई.आर. को समाप्त करने का आदेश पारित किया गया है, जो कि इस मामले में लागू नहीं होती है। इस स्तर पर जबकि विवेचना अभी प्रचलित है अभियुक्त, पीड़िता का देवर है। उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए बिना गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किये, न्यायालय की राय में अभियुक्त को निम्न शर्तों पर जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त सन्तोष का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 1,00,000/-रू0 (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो स्थानीय जमानती, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर, निम्न शर्तों पर रिहा किया जाता है-

1– आवेदक/अभियुक्त समान भाँति के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त गवाहों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, धमकी एवं दबाव नहीं देगा।

3– आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

4– आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान सहयोग करेगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर न्यायालय स्वतः आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त कर सकेगा।

दिनांक-11.08.2026

(प्रीति सिंह- द्वितीय),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0–1, मुरादाबाद